

निग / 2854/II/15

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा

म०प्र०



श्री. शिवप्रसाद विप्रादी "शिव" द्वारा आज दिनांक 10-07-15 परतुव किया गया।

गो. कोर्ट रीवा

1. निशा सिंह बेवा पत्नी स्व० समरबहादुर सिंह उम्र 70 वर्ष पेशा

गृहणी/खेती

2. श्री चिन्तामणि सिंह तनय स्व० श्री समरबहादुर सिंह उम्र 51 वर्ष पेशा

खेती।

3. श्री कुशलेन्द्र सिंह तनय स्व० श्री समरबहादुर सिंह उम्र 48 वर्ष पेशा

खेती

4. श्री आनंदबहादुर सिंह तनय स्व० श्री समरबहादुर सिंह उम्र 45 वर्ष पेशा

खेती

5. सुरेन्द्र प्रताप सिंह तनय स्व० श्री समरबहादुर सिंह उम्र 43 वर्ष पेशा

खेती

6. श्री शीवेन्द्र सिंह तनय श्री समरबहादुर सिंह उम्र 41 वर्ष पेशा नौकरी

7. श्री रजनीश सिंह तनय श्री समरबहादुर सिंह उम्र 39 वर्ष पेशा खेती

सभी निवासीगण ग्राम बडि, पोष्ट हिनौती ग्राम पंचायत सेंदहा, थाना गढ़

तहसील सिरमौर जिला रीवा म०प्र०

----निगरानीकर्तागण

बनाम्

1. केशव प्रसाद तनय रामकिशोर निवासी ग्राम पताई, तहसील सिरमौर

जिला रीवा म०प्र०

2. स्टेट आफ म०प्र०

-----अनावेदकगण

निगरानी विरुद्ध आदेश तहसीलदार साहब सिरमौर

द्वारा प्रकरण क्रमांक 1/अ-5/2014-15 मे

पारित आदेश दिनांक 09.04.2015

M

2/15

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निग. -2854-दो-2015

जिला रीवा

स्थान तथा दिनांक

कार्यवाही तथा आदेश

पक्षकारों एवं अभिभाषकों  
आदि के हस्ताक्षर

निशा सिंह/केशव प्रसाद

9-02-2016

यह निगनारी तहसीलदार सिरमौर जिला रीवा के प्रकरण क्रमांक 1/अ-5/14-15 में पारित आदेश दिनांक 09.04.2015 से व्यथित होकर प्रस्तुत किया गया है।

प्रकरण में आवेदक अधिवक्ता श्री राजेन्द्र तिवारी द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर दिनांक 21.12.2015 को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था जिसके आधार पर इस प्रचलित निगरानी प्रकरण को वापस लेने एवं इसी स्तर पर निरस्त करने का निवेदन किया गया।

आवेदक अधिवक्ता की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र पर विचार किया गया एवं समक्ष में किए गये निवेदन पर पर विचार किया गया। विचारोपरांत आवेदन पत्र दिनांक 21.12.2015 स्वीकार किया जाता है। परिणामस्वरूप निगरानी इसी स्तर पर समाप्त की जाती है। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दा.रि.हो।



(आशीष श्रीवास्तव)  
सदस्य

M